12.46 hrs.

VICTORIA MEMORIAL (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): I move for leave to introduce a Bill further to amend the Victoria Memorial Act, 1903.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Victoria Memorial Act, 1903."

*The motion was adopted.*

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, I introduce the Bill.

---

12.47 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. SPEAKER: Now we come to matters under Rule 377. Shri Rajagopal Naidu.

SLOW MOVEMENT OF COAL BY RAILWAY

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, there is a chaos in the movement of coal by Railways. As a result of it, fertilizer, steel and power plants, especially in the North, are largely hit. Nangal and Bhatinda Fertilizer plants have been forced to halt operations from February 20. Several Thermal Units in U.P. also were hit for want of coal.

In the past seven days, the average coal loading in the Bengal-Bihar fields has reportedly declined from 7,000 wagons to 3,000 wagons while the target is as high as 10,000 wagons. In the coal fields of M.P., which also cater to the requirements of Maharashtra and Gujarat, there is a shortfall of 300—350 a day.

The arrears of wagons on railway account have shot up to a staggering figure of 18,300 for the Bengal, Bihar fields alone.

Instead of supplying 51,000 tonnes of coal per day to the steel plants, the supply was only 38,000 tonnes a day on an average in a month.

The crisis is to be resolved immediately if the Government wants to save the production of steel, energy and fertiliers.

NEED FOR FINANCIAL ASSISTANT OF FARMERS OF DHAR AND KHARGAON AREAS OF MADHYA PRADESH FOR DAMAGEB TO CROPS BY HAILSTORMS

श्री भारत सिंह चौहान (धार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्यप्रदेश के धार और खरगौन आदि के निकटस्थ क्षेत्रों में अभी हाल ही में अति ओलावृष्टि हो जाने से उन क्षेत्रों की खड़ी फसल को भारी क्षति हुई है। सामान्यतया अनुमान लगाया जा रहा है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है तथा सामान्य किसान का जीवन कष्टकारक हो गया है। यह क्षेत्र मेरा संसदीय क्षेत्र है और यहां की 60 प्रतिशत आबादी आदिवासी किसानों की है, जो इस अति ओलावृष्टि के कारण जीवन-यापन करना अत्यन्त दूभर अनुभव कर रही है। इनकी हालत भूखे मरने तक की हो गई है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के किसानों को, विशेषकर आदिवासी किसानों को, वह तुरन्त सहायता पहुंचाये, ताकि उन्हें सुख की राहत मिल सके।

CLOSURE OF KANPUR JUTE INDUSTRY RESTING IN UNEMPLOYMENT OF WORKERS

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदयय, आप की अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं :

कानपुर जूट उद्योग (इकाई जयपुर उद्योग) 21 सितम्बर, 1978 से बिजली कटवा देने के कारण बन्द हो गया है। प्रबन्धकों द्वारा 1 जनवरी 1979 से कारखाने में क्लोजर घोषित करवा दिया गया है जिस के कारण 1500 मजदूर बेरोजगार और उन के परिवार के 6000 लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। कानपुर जूट उद्योग के श्रमिकों ने 29-1-79 से जेल भारो आन्दोलन प्रारम्भ किया है। लगभग 100 मजदूर जेल में जा चुके हैं और अभी भी यह सिलसिला जारी है। सत्याग्रही श्रमिकों को जबरन हथकड़ी लगा कर जेल से अदालत ले जाने का प्रयास किया जाता है। जेल में यातनाएं दी जा रही हैं।

6 जनवरी 79 की कैबिनट मीटिंग में जयपुर उद्योग के सीमेंट प्लान्ट (साईमाधोपुर) के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था लेकिन पिछले 5 माह से बन्द जयपुर उद्योग की इकाई कानपुर जूट उद्योग के अधिग्रहणय का निर्ण नहीं लिया गया

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 26-2-1979.